न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 19/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	1. श्री किरण कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, विकेता/मालिक मैसर्स देव प्रोविजन स्टोर,पांसल चौराहा, पांसल रोड, रिद्धी सिद्धी फेक्ट्री के सामने, भीलवाड़ा स्थाई पता – ग्राम– आसुणा, पोस्ट– मोखुन्दा तह. –रायपुर, जिला भीलवाडा —विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1. श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा
2. श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

दिनांक 22.05.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगण संख्या 1 के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री किरण कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, विकेता/मालिक मैसर्स देव प्रोविजन स्टोर,पांसल चौराहा, पांसल रोड रिद्धी सिद्धी फेक्ट्री के सामने भीलवाड़ा (राज.) पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् घी, तेल, मसाले, किराणा सामान इत्यादि का विकय कर रहा था। मैसर्स देव प्रोविजन स्टोर,पांसल चौराहा, पांसल रोड रिद्धी सिद्धी फेक्ट्री के सामने भीलवाड़ा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विकेता की दूकान पर नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी के (पॉलिथिन पेक) के 500–500 ग्राम के 40 पैकेट आम जनता को विकय बाबत रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर ब्राण्ड –नमकीन सुपर गुरूजी के, Bacth No. - Not Mention , Date of Mfg/Pkg. Not Mention, Symbole for Veg. – Green Symbol Prasent. Net Wight 500 Gm. Mfg. and Pkr. By Shiv Shakti Namkeen Udaipur Road Bhilwara इत्यादि अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जॉंच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। नियमानुसार नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी के नमूना लेकर वास्ते जॉंच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जॉंच नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा लिये गये खाद्य

नमूने का कय बिल प्रस्तुत करने बाबत पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के प्रति उत्तर मे विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा अवगत कराया गया कि लिये गये खाद्य नमूना नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी का कय उनके द्वारा मारूति वेन में फेरी लगाकर नमकीन बेचने वाले से किया गया है एवं इसका कय बिल उनके पास नहीं है। विपक्षीगण संख्या 01 के विरूद्व न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, कय बिल के संदर्भ में किये गये पत्राचार की प्रतियां एवं अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.05.. 2016 को समय 12:30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स देव प्रोविजन स्टोर,पांसल चौराहा, पांसल रोड रिद्धी सिद्धी फेक्ट्री के सामने भीलवाड़ा (राज.) पर पहुचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विकेत्ता/मालिक की हैसियत श्री किरण कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा मालिक/विक्रेता उम्र 58 वर्ष, जाति जैन निवासी ग्राम आसुणा पोस्ट मोखुन्दा तह. रायपुर जिला भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु घी,तेल,मसाले, किराणा सामान इत्यादि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मालिक/विकेता ने बताया कि खाद्य रजिस्ट्रेशन बना हुआ है एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति मौके पर प्रस्तुत की। मैसर्स देव प्रोविजन स्टोर,पांसल चौराहा, पांसल रोड रिद्धी सिद्धी फेक्ट्री के सामने भीलवाड़ा (राज.) के मालिक/ विकेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु नमकीन ब्राण्ड सुपर गुरूजी के 10पैकेट पोलिथिन पैक के 500–500 ग्राम के 40 पैकेट रखे हुई थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर ब्राण्ड –नमकीन सुपर गुरूजी के, Bacth No. - Not Mention , Date of Mfg/Pkg. Not Mention, Symbole for Veg. – Green Symbol Prasent. Net Wight 500 Gm. Mfg. and Pkr. By Shiv Shakti Namkeen Udaipur Road Bhilwara इत्यादि अंकित था। मिलवाट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे, उन्हें सरकारी गवाह बनने हेतु समझाया गया एवं सभी प्रकार के प्रयास किये गये, किन्तु सभी ने मना कर दिया। अन्त में श्री बाबूलाल पायक, च.श्रे.क. को गवाह बनाया गया।

मौके पर गवाह एवं विकेता की उपस्थिति नमकीन ब्राण्ड सुपर गुरूजी के 500– 500 ग्राम पोलिथिन पैक के 4 पैकेट एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत वास्ते जाँच हेतु खरीदे एवं इस बाबत 160/– रूपये अक्षरे एक सौ साठ रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा नमकीन ब्राण्ड सुपर गुरूजी के चारों पैकिटों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर, उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–132 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरियल नं. एक्स–132 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित

कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मालिक श्री किरण कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार की गई। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स 132 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

न्याय निर्णयन आवेदनकर्ता द्वारा विपक्षीगण संख्या 01 को लिये गये नमूने का कय बिल प्रस्तुत करने बाबत रजिस्ट्रर्ड पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के प्रति उत्तर मे विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा अवगत कराया गया कि लिये गये खाद्य नमूना नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी का कय उनके द्वारा मारूति वेन में फेरी लगाकर नमकीन बेचने वाले से किया गया है। एवं इसका कय बिल उनके पास नही है।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.348/Act/2016/398 दिनांक 06/06/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिसब्राण्ड (Misbrand) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षीगण को नियमानुसार प्राप्त जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्रर्ड पत्रांक द्वारा भिजवाई गई। न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बावत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को मैं पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षीगण संख्या 1 किरण कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा विकेता/मालिक मैसर्स_देव प्रोविजन स्टोर,पांसल चौराहा, पांसल रोड रिद्धी सिद्धी फेक्ट्री के सामने भीलवाड़ा (राज.) द्वारा मिसब्राण्ड नमकीन ब्राण्ड सुपर गुरूजी के का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 03.03.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.03.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 17.04.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी ।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण संख्या 01 से लिया गया खाद्य नमूना नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी के मिसब्राण्ड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी के के लेबल में Batch No. Date of Mfg/Pkg. अंकित नही थे। साथ ही कौन–कौन से इन्ग्रिडेन्ड्स नमकीन बनाने में प्रयुक्त हुए है उनका विवरण भी निर्धारित नियमानुसार नहीं होनें के कारण खाद्य नमूना नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी के मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा मिसब्राण्ड नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी के_विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षीगणों सख्या 01 के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को एवं निर्माता फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये

पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा एवं निर्माता फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में नमकीन का कय उनके द्वारा बिना बिल के करना बताया । विपक्षी ने एक मारूति वेन से बेचने वाले से नमकीन के पैकिट लिये थे एवं बिल मांगने पर विपक्षी को कच्चा बिल दिया था । उक्त नमकीन कय करते समय विपक्षी को इसकी जानकारी नहीं थी कि नमकीन गुणवता में शुद्ध नहीं हैं । विपक्षी द्वारा नमकीन मारूति वेन थडी वाले से कय करने की गलती हुई । विपक्षी द्वारा उक्त नमकीन कय करने की गलती जानकारी के अभाव में भुलवश हुयी जो क्षमा योग्य हैं । अतः विपक्षी की प्रथम गलती मानते हुए क्षमा किये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.348/Act/2016/398 दिनांक 06/06/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, नमकीन ब्राण्ड – सुपर गुरूजी निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिसब्राण्ड (Misbrand) होना पाया गया।** विपक्षीगण संख्या 01 श्री किरण कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा मालिक/विक्रेता मैसर्स देव प्रोविजन स्टोर,पांसल चौराहा, पांसल रोड रिद्धी सिद्धी फेक्ट्री के सामने भीलवाड़ा (राज.) द्वारा मिसब्राण्ड नमकीन ब्राण्ड सुपर गुरूजी के का विकय करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में मिसब्राण्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 11,000/–रूपये (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 03 माह के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/05/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– **निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–**

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री किरण कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, विकेता/मालिक
मैसर्स देव प्रोविजन स्टोर,पांसल चौराहा, पांसल रोड रिद्धी सिद्धी फेक्ट्री के सामने भीलवाड़ा
स्थाई पता – ग्राम आसुणा पोस्ट मोखुन्दा तह. रयपुर जिला भीलवाडा

22/05/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा